छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

परिपत्र

क्रमांक....775..../2015 दिनांक 22/12/2015

विषयः- एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों एवं उच्च जोखिम समूह के लोगों को रियायत दर पर आवास आबंटन में प्राथमिकता करने बाबत्।

---000---

अतिरिक्त परियोजना संचालक छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति रायपुर के पत्र क्रमांक/एड्स/2015-16/613 रायपुर दिनांक 01.10.2015 द्वारा लेख किया है कि दिनांक 27.08.2015 को संयुक्त कार्य दल की बैंठक में एम.ओ.यू. के अंतर्गत प्रावधानिक योजनाओं (अटल आवास, राजीव गांधी आवास) में एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों एवं उच्च जोखिम समूह (महिला यौन कर्मियों) को रियायत दर पर प्राथमिकता देते हुए आवास आरक्षण का प्रावधान किया जावें।

छत्तीसगतढ़ गृह निर्माण मंडल के 45वॉ मंडल सम्मिलन दिनांक 19.12.2014 की पद संख्या क्रमांक-10 के पारित संकल्प क्रमांक-1276-10/45/12/2014 द्वारा मण्डल कि योजनाओं में भवनों के आबंटन हेतु आरक्षण अंश निर्धारित किया गया है। अवर सचिव, छत्तीसगढ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ-423/2005/32 नया रायपुर दिनांक 10.02.2015 द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के उक्त पारित संकल्प अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आवासीय योजनाओं में आवायीय भवनों के आबंटन हेतु आरक्षण से संबंधित समस्त पूर्व निर्देशों को निष्प्रभावी करते हुए विभिन्न वर्गो के लिये निम्नानुसार आरक्षण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र.	वर्ग	आरक्षण का प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	06%
2	अनुसूचित जनजाति	04%
3	पिछड़ा वर्ग	06%
4	मंडल के कर्मचारियों के लिये	01%
5	स्वंतत्रता संग्राम के सैनानियों	01%
6	सैनिको एवं भूतपूर्व सैनिको	02%
7	शारीरिक विकलांगों	03%
8	निराश्रित एवं विधवा महिला हेतु	02%
9	पत्रकार	02%
10	शासकीय कर्मचारी (रायपुर)	05%
11	शासकीय कर्मचारी (अन्य नगर)	03%
12	तृतीय लिंग समुदाय के लिये	02%

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 49वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 11.12.2015 की पद संख्या-10 संकल्प क्रमांक 1351-10/49/12/2015 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मण्डल की आवासीय योजनाओं में तृतीय लिंग समुदाय हेतु भवनों के 2 प्रतिशत आरक्षण को संशोधित कर तृतीय लिंग समुदाय/एच.आई.वी. संक्रमित वर्ग हेतु 2 प्रतिशत किया जाकर छत्तीसगढ़ शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृ.क्र.२४९६/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-186 /15 रायपुर, दिनांक २२ / १२ /2015
प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त/आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
5. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
6. आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
8. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
9. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
11. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
12. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।